

# फर्म अहकाम

(निम्न 28)

अध्या अध्यागत - उमखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

धीरू पिता डुगा मीणा नि. शृंगारचवरी

बनाम

भोजा पिता गंगाराम भील नि. सबलपुरा वगैरा

विषय मुकदमा घा० मत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 1030/2021

तारीख हुमा	हुमा या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुम की तारीख में जारी हवे
16.11.21	<p>प्रार्थना मत्र प्रशासन गोंवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे पिता जी के खाते की भूमि ग्राम पीपलुन्द प. ह. भीमलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 825/6 रकबा 5.00 बीघा स्थित है। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। उनके विधिक वास्तिमान प्रार्थी है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। परन्तु उक्त पडौसीगण को सीमा विन्दु की पुख्ता जानकारी नही होने से आगे दिन हंकाई, बुवाई, कटाई के समय अक्सर सीमा विन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत 2071 से 2074 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडौसियान के विवाद करने वाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एकट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 825/6 रकबा 5.00 बीघा की बसामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी गौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक .11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उमखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर(भीलवाडा)